राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(अनुभाग–3)

क्रमांकः–एफ–4(4)ग्रावि/नरेगा/सा.अके./2009–10 जयपुर,दिनांक : 25/11/09.

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,

अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बीकानेर, बाड़मेर, चित्तोड़गढ़,

जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, करोली, पाली, राजसमंद,

सिरोही, सीकर एवं उदयपुर।

विषय :– जिले में नरेगा योजनान्तर्गत सामग्री मद में सर्वाधिक व्यय करने वाली पंचायत के सामाजिक अंकेक्षण संबंधी निर्देश।

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 12.11.2009 एवं 20.11.2009 के कम में निर्देश दिये जाते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को आपके स्वयं के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में संपादित करवाया जावे एवं दिनांक 28.11.2009 को आयोजित होने वाली ग्राम सभा में आप स्वयं उपस्थित होकर सामाजिक अंकेक्षण की विधिक अनिवार्यता एवं महत्व को आम लोगों को समझावें।

सामाजिक अंकेक्षण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची–1 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.12.08 द्वारा किये गये संशोधन अनुसार सामाजिक अंकेक्षण जनता की भागीदारी के लिए खुला होगा और ग्राम सभा से भिन्न कोई व्यक्ति सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही में हस्तक्षेप किये बिना पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। इस अंकेक्षण में स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है एवं फोरम का क्षमता संवर्द्धन का कार्य कर सकते है, परंतु सामाजिक अंकेक्षण फोरम ही सामाजिक अंकेक्षण करें।

उक्त कार्य हेतु यदि आवश्यक हो तो आप अपने अधीनस्थ अन्य विभागों के लेखा अधिकारी/ कार्मिक भी लगा सकते हैं।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि उक्त जिम्मेदारी आप किसी अन्य अधिकारी को हस्तान्तरित नहीं करें।

नरेगा – अति आवश्यक

C:\Documents and Settings\ram\Desktop\BANNALAL\social audit.doc

सामाजिक अंकेक्षण फोरम एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा तैयार रिपोर्ट को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करवाकर ग्राम सभा की कार्यवाही रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करें।

भवदीय,

(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
6. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला परिषद, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बीकानेर, बाड़मेर, चित्तोड़गढ, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, करोली, पाली, राजसमंद, सिरोही, सीकर एवं उदयपुर। ।
8. परियोजना निदेशक, ईजीएस, जयपुर।
9. श्री मुकेश विजय, अधिशाषी अभियंता, ईजीएस को वैब साईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

25/11/09

परियोजना निदेशक, ईजीएस

C:\Documents and Settings\ram\Desktop\BANNALAL\social audit.doc